वर्तमान परिस्थिति में जमाअत इस्लामी हिन्द की

प्राथमिकताएं

मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी
अमीर, जमाअत इस्लामी हिन्द

संपादन
डॉ० मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

अनुवाद
डॉ० मुहम्मद अहमद

विषय-सूची

	पृष्ठ
• दो शब्द	5
• सेकुलर देश में जमाअत इस्लामी हिन्द की सरगर्मियां	7
• वर्तमान परिस्थितियों में जमाअत की प्राथमिकताएं	9
जमाअत से जुड़े लोगों का तज़्किया (आत्मशुद्धि) और जमाअत की आन्तरिक सुदृढ़ता	10
इस्लाम की परिचय	11
देश की समस्याएं	12
मुस्लिम समुदाय की समस्याएं	13
• संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक असमानता के बारे में जमाअत का नीति आधार	15
मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला	16
मुस्लिम समुदाय के एका हेतु जमाअत की कोशिशें	16
भारतीय मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिशें	17
देश में इस्लाम, मुसलमानों और इस्लामी तहरीकों को पेश आने वाली चुनौतियां और सही कार्यनीति	17
उर्दू भाषा का मसला	18
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जमाअत की भावी कार्यनीति	18
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड	19
भारत-पाक संबंध	20
जमाअत इस्लामी हिन्द और कश्मीर का मसला	20

- मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय समस्या और उसका हल 21

विश्व की इस्लामी तहरीकों के साथ जमाअत के संपर्क 22

देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में जमाअत की कोशिशें 23

चुनावों में भाग लेने या न लेने का मसला 23

साम्प्रदायिकता और फॉसीवाद के ख़िलाफ़ जमाअत की कोशिशें 26

आधुनिक साहित्य की ज़रूरत 26

अमली व फ़िक्री मैदान में जमाअत के पेशेनज़र काम 27

वर्तमान काल में नेतृत्व करने वालों की विशेषताएं 28

अन्य अल्पसंख्यक ग्रुपों से जमाअत के संपर्क 28

शिक्षा और अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान 29

जमाअत इस्लामी हिन्द और मीडिया 29

दो शब्द

जमाअत इस्लामी हिन्द 'इक़ामते दीन' (धर्म-स्थापना) का आवाहक है। वह मानव जीवन के व्यक्तिगत और सामूहिक सभी पहलुओं में इस्लाम धर्म को क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध है। वह चाहती है कि सभी देशवासियों तक इस्लाम का सन्देश पहुंचे, वे उसकी शिक्षाओं से अवगत हों और उसके बारे में उनके मन में जो शंकाएं-आशंकाएं पायी जाती हैं, वे दूर हों। जमाअत यह भी चाहती है कि देश को जिन समस्याओं का सामना है, उनका समाधान हो और देशवासी इस्लाम के बारे में इस हैसियत से विचार करें कि वह उनकी समस्याएं हल कर सकता है। भारतीय मुसलमान जिन मुश्किलों व समस्याओं के शिकार हैं, जमाअत खुद भी अपनी सामर्थ्य भर उसे हल करने की कोशिश करती है और दूसरी संस्थाओं और संगठनों के साथ मिलकर भी उनके हल की कोशिश करती है। जमाअत इस्लामी हिन्द का कार्य-प्रबन्ध चार वर्षीय सत्र पर आधारित है। प्रत्येक सत्र के आरंभ में जमाअत मंसूबे बनाकर नये हालात में अपनी गतिविधियों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाती है।

जमाअत इस्लामी हिन्द के नये कार्यकाल का आरंभ अप्रैल 2007 ई० से हुआ है। इस कार्यकाल के लिए जमाअत की मजलिसे नुमाइंदगान (प्रतिनिधि सभा) ने मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी को अमीरे जमाअत चुना है। मौलाना उमरी प्रसिद्ध आलिमे दीन हैं, ऊंचे दर्जे के वक्ता और प्रख्यात लेखक की हैसियत से भारत में ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी सम्मान व प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं। मौलाना अपने युवावस्था 1954 ई० ही से जमाअत से जुड़े रहे हैं और उसकी कार्य-प्रणाली से भली-भांति परिचित और उसकी गतिविधियों में शरीक रहे हैं। तहरीकी, दीनी और आधुनिक विषयों पर पचास के लगभग किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से कुछ का देश की कई क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा अरबी, अंग्रेज़ी और तुर्की में भी अनुवाद हो चुका है। मौलाना एक लंबे समय से प्रसिद्ध ज्ञानात्मक शोध संस्थान 'इदारा-ए-तहक़ीक़ व तसनीफ़े इस्लामी', अलीगढ़ की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठित पत्रिका त्रैमासिक ''तहक़ीक़ाते इस्लामी''

के संपादक हैं । इसके अतिरिक्त वे प्रसिद्ध दीनी दर्सगाह जामियातुल फ़लाह बिलरियागंज, आज़मगढ़ के शैख़ुल जामिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत सहित बहुत-सी तहरीकी व मिल्ली संस्थाओं से ज़िम्मेदार के रूप में जुड़े हुए हैं । इससे पूर्व वे 1991 ई० से जमाअत के नायब अमीर के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं ।

अमीरे जमाअत चुने जाने के बाद मौलाना उमरी के सम्मान में कई स्थानों पर स्वागत समारोह हुए, जिनमें आपके अभिभाषण हुए और कई पत्र-पत्रिकाओं में इंटरव्यूज़ प्रकाशित हुए । इनमें त्रिदिवसीय 'दावत', मासिक/साप्ताहिक 'कान्ति', मासिक 'अफ़कारे मिल्ली', रोज़नामा 'जंग' लंदन और वेबसाइट 'कोबरा पोस्ट डाट कॉम' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन भाषणों और इंटरव्यूज़ में मौलाना ने मुस्लिम समुदाय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं पर जमाअत का दृष्टिकोण पेश किया और उसकी गतिविधियों पर प्रकाश डाला । उनके माध्यम से जमाअत इस्लामी का आह्वान, उसके बुनियादी काम, विभिन्न मुद्दों पर इसके दृष्टिकोण और नीतियों की भली-भांति व्याख्या होती है ।

इदारा जनाब डॉ० रज़ीउल इस्लाम नदवी का कृतज्ञ है कि उन्होंने अमीरे जमाअत के इंटरव्यूज़ के महत्व को महसूस करते हुए उनका पुस्तिका के रूप में उचित संपादन करके प्रकाशन के लिए हमें दिया । स्पष्ट रहे कि डॉ० साहब ने इंटरव्यूज़ से प्रश्न हटा दिये हैं, उत्तरों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्न क्या रहे होंगे । यह बात भी संतोषप्रद है कि छपने से पहले इन इंटरव्यूज़ पर अमीरे जमाअत ने भी एक दृष्टि डाली है । इसके महत्व व उपादेयता को देखते हुए अब इसको हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया जा रहा है ।

–प्रकाशक

सेकुलर देश में जमाअत इस्लामी हिन्द की सरगर्मियां

भारत एक सेकुलर और लोकतांत्रिक देश है । यहां प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुसार दीन व धर्म पर चलने, उसका प्रचार-प्रसार करने और धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है । इसी तरह धार्मिक और शैक्षिक संस्थाएं क़ायम करने, संगठन बनाने और चलाने की भी स्वतंत्रता है । कोशिश यह है कि यह अधिकार बाक़ी रहे ताकि इस देश के सामने पूरी तरह खुलकर यह बात आये कि इस्लाम क्या है, उसकी चिंतन व व्यवहार की व्यवस्था क्या है और वह किस प्रकार दुनिया व आख़िरत (परलोक) की सफलता की ज़मानत प्रदान करता है और उसके बिना व्यक्ति एवं समाज किस प्रकार विनाशकारी परिणामों से दो-चार होते हैं । विभिन्न कारकों के कारण इस देश में हज़ारों, लाखों ग़ैर-मुस्लिमों में शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा, जो इस्लाम को इस हैसियत से जानता हो । इस परिस्थिति में अनिवार्य रूप से यह अपेक्षित है कि यहां इस्लाम का भरपूर परिचय हो । इसके लिए देश में अभिव्यक्ति और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता का बाक़ी रहना आवश्यक है ।

जमाअत इस्लामी हिन्द पिछले कई वर्षों से देशवासियों में इस्लाम के परिचय और उसके संदेश को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए संगठित और योजनाबद्ध प्रयास कर रही है । इसने उर्दू भाषा में मौजूद इस सिलसिले के साहित्य को हिन्दी और अंग्रेज़ी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी बड़े पैमाने पर न केवल अनुवाद कराया है, बल्कि ग़ैर-मुस्लिम देशवासियों की मनोवृत्तियों और धार्मिक रुझानों को सामने रखकर नया दावती साहित्य भी तैयार किया और उसे उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है । इस तरह अब तक देश की पन्द्रह भाषाओं में क़ुरआन मजीद के अनुवाद हुए और उनका प्रकाशन किया गया ।

जमाअत की कोशिश है कि देश और मानव जाति के समक्ष उपस्थित समस्याओं में इस्लाम को विकल्प के रूप में पेश करे और नबी-ए-रहमत

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानवता उपकारक एवं मुक्तिदाता की हैसियत से परिचित कराये । अतः इन कोशिशों को और अधिक तेज़ करने एवं प्रचार के सभी संभव माध्यमों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है । इसके साथ जमाअत देश में बनने वाली सभी नीतियों का जायज़ा लेती रहती है और उनके सिलसिले में न केवल यह कि अपना दृष्टिकोण प्रकट करती है, बल्कि जन-चेतना के द्वारा उन पर प्रभाव डालने की कोशिश भी करती है । जमाअत इस्लामी हिन्द इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि देश के संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता की यह ज़मानत न केवल बाक़ी रहे, बल्कि इसे समाप्त करने की जो कोशिश कुछ साम्प्रदायिक और फॉसीवादी तत्वों की ओर से हो रही है उसमें वे सफल न होने पाएं ।

वर्तमान परिस्थितियों में जमाअत की प्राथमिकताएं

हमारी पहली कोशिश यह होगी कि जमाअत के सदस्य और इससे जुड़े हुए लोग जो कि अल्लाह के कलिमे की बुलंदी और इक़ामते दीन (धर्म-स्थापना) के महानतम उद्देश्य के तहत इस देश में जिद्दोजहद व प्रयास कर रहे हैं, वे वैचारिक, व्यावहारिक और ज्ञानात्मक पहलुओं से वांछित मानदंड व अपेक्षाओं से और निकट हों और जिस दीन (धर्म) की ओर वे लोगों को बुला रहे हैं उनका कथन और कर्म भी उस दीन के अनुसार हो।

दूसरी बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि मुसलमान इस देश में एक हज़ार वर्ष से मौजूद हैं। फिर भी अभी तक इस्लाम का सही अर्थ में परिचय नहीं हो सका है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ शरारती तत्व इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ने की जान-बूझकर कोशिश कर रहे हैं, इसका अनिवार्य तक़ाज़ा है कि उनकी कोशिशों को सफल न होने दिया जाए। लेकिन यह एक हक़ीक़त है कि इस देश की अधिसंख्य जनता इस्लाम से परिचित नहीं है। इसका एक पहलू यह भी है कि इस्लाम दुश्मन तत्वों ने हमारी तस्वीर जिस प्रकार बिगाड़ी है, अगर हमने इसको बदलने की संगठित और योजनाबद्ध कोशिश नहीं की तो यहां की बहुसंख्यक जनता हमें एक दुश्मन क़ौम की हैसियत से देखेगी और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार न होगी। यह बात स्पष्ट रहे कि इसके लिए हमें क्षमायाचना वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि सकारात्मक और तार्किक अंदाज़ में देशवासियों को इस्लाम से और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र जीवनी से परिचित कराना होगा।

इस देश में आम इन्सानी समाज की अनगिनत समस्याएं हैं। पीने के साफ़ पानी से लेकर साफ़-सुथरे वातावरण की उपलब्धता तक, ग़रीबी से लेकर बेरोज़गारी तक विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। दुनिया का कोई भी संगठन इन सब समस्याओं को एक ही समय में हल करने का दावा नहीं

कर सकता, यहां तक कि सरकार के लिए ऐसा करना कठिन है । निश्चय ही इनमें से कुछ समस्याओं को हम प्राथमिक आधार पर अपने हाथ में लेंगे । स्वयं मुसलमानों की जो भी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं, जिनके हल की साझा कोशिशें वांछित हैं । इनके लिए साझा तौर पर कोशिश होनी चाहिए । कुछ वे समस्याएं हैं जिनके हल के लिए मुस्लिम समुदाय के अन्य संगठन कोशिश कर रहे हैं । इसमें हम उनका सहयोग करेंगे ।

मुसलमानों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि अगर बहुत सारे संगठन भी इन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हों, तब भी इस मैदान का हक़ अदा नहीं हो सकता, जैसे, मुसलमानों की धार्मिक और समकालीन शिक्षा की समस्या, ग़रीबी व अभावग्रस्तता के हल की समस्या आदि । इन समस्याओं के सिलसिले में हम अपने सामर्थ्यभर, मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों को आधार बनाकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे ।

एक महत्वपूर्ण समस्या–मुस्लिम समुदाय को धार्मिक और नैतिक दृष्टि से उच्च स्थान तक पहुंचना है, जिसे धार्मिक शब्दावली में 'ख़ैरे उम्मत' का स्थान दिया जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसके लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए महसूस होता है कि उतनी कोशिश नहीं हो पायी । इस उच्च स्थान तक पहुंचे बिना हमारी कोई विशिष्टता इस देश में शेष नहीं रहेगी ।

(अ) जमाअत से जुड़े लोगों का तज़्किया (आत्म शुद्धि) और जमाअत की आंतरिक सुदृढ़ता

जमाअत से जुड़े लोगों का तज़्किया (परिशुद्धि) और जमाअत की आंतरिक सुदृढ़ता की ओर हम प्राथमिक रूप से ध्यान देंगे । जमाअत इस्लामी हिन्द ने अपने सदस्यों के लिए एक धार्मिक व नैतिक मानदंड (मेयार) निर्धारित कर रखा है । प्रत्येक चार वर्षीय सत्र की नीतियों और कार्यक्रमों में इसकी व्याख्या भी होती रहती है । यह वह मानदंड है जिस पर शरीअत के अनुसार हर मुसलमान को पूरा उतरना चाहिए । जमाअत इस्लामी यह चाहती है और यह उसके संविधान का तक़ाज़ा भी है कि उसके सदस्य इस मानदंड पर पूरा उतरने के लिए प्रयासरत रहें और एक सही व सच्चे मुसलमान का नमूना अपनी ज़िन्दगी में पेश करें । जमाअत

क संविधान में आवश्यक गुणों व अर्हताओं से आगे वांछित मानदंड की भी याख्या की गयी है । मेरा एहसास है कि जमाअत अपनी सभी कोशिशों के ावजूद अभी इस मानदंड तक नहीं पहुंच सकी है । जमाअत को अनवरत प से इस दिशा में अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए । इसके बिना न वल यह कि संविधान के तक़ाज़े पूरे न होंगे, बल्कि स्वयं उद्देश्य के क़ाज़े भी पूरे न हो सकेंगे ।

ब) इस्लाम का परिचय

देश में इस्लाम को व्यापक रूप से परिचित कराने का जो काम बड़े माने पर होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है । जमाअत इस पोज़ीशन में ी और यह काम कर सकती थी, आज भी कर सकती है । अत: अब इस ोर विशेष रूप से ध्यान देकर इस्लाम के परिचय और उसके आह्वान दावत) का काम बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए ।

हमारा देश बहुत विशाल है । यहां इस्लाम के आह्वान का बहुत बड़ा दान है । बहुत से अवसर हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है । माअत शुरू से ही इस बात को लेकर चिन्तित रही है कि धर्म का भेद के बिना देशवासियों के सामने इस्लाम का सही परिचय हो । जहां तक र मुस्लिम देशवासियों के बीच इस्लामी आह्वान व दावत का संबंध है, माअत को शुरू से ही इसके महत्व का एहसास रहा है । इसी के पेशेनज़र ौलाना अबुल लैस नदवी इस्लाही (रह०) के अमीर होने के कार्यकाल के ुरू में ही मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (रह०) ने 'तयस्सरुल कुरआन' के नाम े कुरआन मजीद की तफ़्सीर (व्याख्या) का सिलसिला शुरू किया था, सका संबोधन मूलत: गैर मुस्लिमों की ओर था । मौलाना ने सूरा बक़रा की ाफ़्सीर पूरी की । इसके पहले पारा का हिन्दी में अनुवाद भी हुआ, लेकिन ुछ कारणों से तफ़्सीर का यह सिलसिला जारी न रह सका ।

इसके बाद मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ साहब (रह०) के अमीर होने के ार्यकाल में कुरआन करीम के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की योजना नायी गयी और अलहम्दुलिल्लाह, यह काम मौलाना मुहम्मद सिराजुल सन साहब के अमीर रहने के कार्यकाल में पूरा हुआ । यह जमाअत की साधारण सेवा और दावत (इस्लाम की ओर आमंत्रण) का सबसे ज़रूरी

हिस्सा है । इसके बाद हिन्दी भाषा में 1958 ई॰ में 'कान्ति' का प्रकाशन शुरू किया गया । इसके उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देशवासियों के सामने इस्लाम का परिचय था । इसके साथ अगर आप उस विशाल लिट्रेचर को भी सामने रखें, जो हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में देशवासियों को दृष्टि कर संपादित और प्रकाशित हुआ है, तो आपको खुशी और इत्मीनान का एहसास ज़रूर होगा ।

इसके बावजूद यह हक़ीक़त है कि ग़ैर मुस्लिमों में इस्लाम के आह्वान और प्रचार-प्रसार के मैदान में जितना काम होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है । इसके अनेक कारण हैं । आप जानते हैं कि जमाअत का आरंभिक काल आज़माइशों और कठिनाइयों का काल रहा है । हमारी जो कुछ भी सीमित मानव शक्ति थी, सरकार उसको अपने लिए ख़तरा समझती थी । जमाअत के लोग विशेषकर उसके नेतृत्व को कई बार क़ैद व बन्द के मरहलों से गुज़रना पड़ा । इस कारण आम लोग भी जमाअत से क़रीब होते हुए घबराते थे । आज़ादी और देश-विभाजन के बाद मुसलमानों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वे आपके सामने हैं । इस समय उनके विश्वास को बहाल करना, भय, घबराहट और बेचैनी की फ़ज़ा को बदलना, उनके क़दम जमाना हमारे प्राथमिक कार्य थे । फिर साम्प्रदायिक दंगों का अनवरत सिलसिला चल पड़ा ।

जमाअत को अपने सीमित संसाधनों के साथ राहत और पुनर्वास के मैदान में अपनी शक्ति झोंक देनी पड़ी । दूसरी ओर देश में जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही थीं । उनके द्वारा एक विशेष कल्चर (पश्चिमी और हिन्दुत्व कल्चर) हमारी नयी नस्ल के नन्हे ज़ेहनों पर थोपने की कोशिश की जा रही थी, उसका मुक़ाबला ज़रूरी था । अतएव जमाअत ने मुसलमानों के अन्य संगठनों के साथ मिलकर धार्मिक शिक्षा का काम शुरू किया । जमाअत की कोशिश थी कि समकालीन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाने से पहले मकतबों के द्वारा न केवल दीन (इस्लाम धर्म) की बुनियादी बातों से परिचित हो जाएं, बल्कि उन्हें अपनी इस्लामी पहचान और अपने इतिहास व शरीअत (इस्लामी व्यवस्था) का इतना ज्ञान हो जाए कि बाह्य प्रभाव उनके ज़ेहनों को दूषित न कर सकें । इन महत्वपूर्ण और

आवश्यक क़ामों में ज़माअत को अपनी शक्ति व सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ा । मगर आप देखेंगे कि इन प्रतिकूल और हंगामी हालात में भी इस्लाम की आमंत्रण (दावत) के मैदान में बहरहाल काम होता रहा है । ख़ास बात यह है कि इस मैदान में काम करने वाले लोग तैयार किये गये, इस तरह कि उन्हें आधुनिक विचारों व कल्पनाओं से आगाही हो और साथ ही वे देशवासियों के धर्मों और उनकी किताबों से भी आवश्यकतानुसार परिचित हो सकें । अलहम्दुलिल्लाह, अब हम इस पोज़ीशन में हैं कि अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग इस काम में लगा सकें । इंशाअल्लाह, इस मैदान में अब योजनाबद्ध ढंग से प्रगति होगी ।

(स) देश की समस्याएं

हम कुछ ऐसी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ अपने हाथ में लेंगे, जिससे एक ओर इस्लाम का दृष्टिकोण देशवासियों के सामने आ सके और दूसरी ओर यह देश की बड़ी सेवा होगी । जैसे, देश में जो वर्गीय कशमकश और ज़ात-पात पर आधारित शोषणकारी व्यवस्था है, उसको हम सही नहीं समझते । इसे समाप्त करने की अपनी यथा सामर्थ्य कोशिश करेंगे । राज्यों के बीच जो क्षेत्रीय रस्साकशी है, भाषाई और नस्ली नफ़रत व घृणा है उसको हम देश के लिए घातक समझते हैं । हम इन्सान को इन्सान की हैसियत से देखते हैं । न किसी को सामाजिक दृष्टि से कोई साधारण पेशा अपनाने पर उसे नीच व हेय समझते हैं और न ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने को उच्च और श्रेष्ठ । इसी प्रकार एक प्रोफ़ेसर और एक झाड़ू देने वाले के बीच ज्ञान का अन्तर तो हो सकता है, लेकिन इन्सान की हैसियत से दोनों बराबर हैं । हमारी दृष्टि में इन्सान होने की हैसियत से कोई ऊंचा और नीचा नहीं है । इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से हम देशवासियों के सामने पेश करेंगे और कुल-गोत्र व नस्ल के आधार पर उच्च व न्यून के जो कृत्रिम मानदंड निर्धारित कर लिए गये हैं, हम उनको ढा देना चाहते हैं ।

निर्धनता और अभावग्रस्तता भी एक बड़ी समस्या है, जो इस समय देश के सामने है । सभी उन्नतियों के बावजूद देश की आबादी का बड़ा हिस्सा ग़रीबी-रेखा से नीचे ज़िन्दगी गुज़ार रहा है । यह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का नुक़सान नहीं, बल्कि पूरे देश का नुक़सान है । यह बात पूरी

तरह से देशवासियों के सामने आनी चाहिए कि हर व्यक्ति को रोज़ी-रोटी का प्रबंध करना सरकार की ज़िम्मेदारी है । इसी प्रकार की कुछ बुनियादी समस्याओं को जमाअत अपने प्राथमिक कार्यों में शामिल करेगी ।

(द) मुस्लिम समुदाय की समस्याएं

भारत की एक अरब दस करोड़ की आबादी में मुसलमान पन्द्रह प्रतिशत हैं और उनकी अनगिनत समस्याएं हैं । उनके जान-माल, इज़्ज़त-आबरू और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की समस्या, साम्प्रदायिक दंगों, फ़सादों से सुरक्षित रहने की समस्या, शिक्षा की समस्या, जीवकोपार्जन व रोज़गार की समस्या, उनके सही प्रशिक्षण की समस्या और उनको नैतिक रूप से ऊपर उठाने की समस्या । मेरा ख़याल है कि जमाअत इन सभी समस्याओं को समान रूप से नहीं छेड़ सकती, इसलिए उसे कुछ समस्याओं का चयन करके उसमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए । जमाअत इस्लामी हिन्द की शूरा (परामर्शदात्री समिति) सामान्यतः इन समस्याओं का निर्धारण करती है ।

इसी प्रकार मेरा यह भी एहसास है कि इन सब समस्याओं को अकेली जमाअत हल नहीं कर सकती । इसमें वह दूसरे संगठनों के साथ सहभागिता और सहयोग करती रही है और भविष्य में भी उनसे सहयोग जारी रहेगा । मुसलमानों की बहुत-सी समस्याएं वे हैं, जिनके हल का संबंध सरकार से है । जमाअत सरकार को ध्यान दिलाएगी कि वह उनके हल के लिए क़दम उठाये । मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या उसका धार्मिक व नैतिक प्रशिक्षण है । इसकी ओर जमाअत का ध्यान रहा है, लेकिन और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत महसूस होती है ।

संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक असमानता के बारे में जमाअत का नीति आधार

संसाधनों के अन्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक असमानता के बारे में एक प्रारूप वह है जो कम्युनिज़्म ने पेश किया है । इस्लाम का दृष्टिकोण इसके विपरीत है । इसके नज़दीक आदमी जायज़ (वैध, विहित) साधनों व ज़रियों से आर्थिक उन्नति कर सकता है, लेकिन इसके लिए वह दूसरों के हक़ों को मारने और उनके शोषण की किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में अनुमति नहीं देता । इस मामले में सरकार अगर वंचित और उत्पीड़ित वर्गों जैसे मज़दूरों और शिल्पकारों, छोटे खेतिहरों, किसानों एवं बड़े ज़मींदारों आदि के हक़ों के लिहाज़ से बुद्धि संगत नियम-क़ानून बनाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे । इसके लिए क़ानून ही काफ़ी नहीं, माहौल बनाने की भी ज़रूरत है । अतएव इस्लाम समृद्ध और सम्पन्न (साहिबे ख़ैर) लोगों से कहता है कि तुम्हारे मालों में मांगने वालों और वंचितों-निर्धनों का भी हक़ है । इसीलिए उसने ज़कात की व्यवस्था की है । इसके साथ इस्लाम की स्प्रिट यह है कि दौलतमंद और ग़रीब लोगों में बहुत अधिक अन्तर न हो । इसी कारण आदमी के मरने के बाद उसकी दौलत वारिसों में बंट जाती है । बड़े बेटे या पत्नी के पास नहीं चली जाती । इसी प्रकार इस्लाम जमाख़ोरी या संग्रहण की अनुमति नहीं देता । वह व्यक्ति को इस बात का पाबंद बनाता है कि जीविकोपार्जन के लिए जायज़ तरीक़े अपनाये । ग़ैर क़ानूनी और नाजायज़ तरीक़ों से दौलत न समेटे ।

जहां हम यह महसूस करेंगे कि एक विशेष वर्ग के हित को सामने रखकर क़दम उठाया जा रहा है और आम इन्सानों पर चोट पड़ रही है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और जनमत तैयार करेंगे । मीडिया के द्वारा भी सरकार के ग़लत क़दमों पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से देश की आर्थिक परिस्थिति विशेषकर छोटे कारोबार प्रभावित हो रहे हैं । पूरी अर्थव्यवस्था सिमटकर कुछ बाहरी हाथों में केंद्रित होती जा रही है । ग़रीब की ग़रीबी में और पूंजीपति की दौलत में वृद्धि होती जा रही है । ग्लोबलाइज़ेशन

और आर्थिक उदारीकरण के भविष्य व नतीजों का अधिक गहराई व सूक्ष्म जायज़ा लेने की ज़रूरत है । अर्थशास्त्रियों और मुस्लिम स्कॉलरों को एक साथ मिल-बैठकर इस पर सोच-विचार करना चाहिए ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला

भारतीय संविधान में शरीअत अप्लीकेशन एक्ट 1937 ई० के तहत यहां के प्रत्येक धार्मिक और सांस्कृतिक समूह को अपने पर्सनल लॉ पर अमल की स्वतंत्रता प्राप्त है । जमाअत इस्लामी चाहती है कि उसका यह हक़ बाक़ी रहे । इसी लिए समान सिविल कोड का उसने सदैव विरोध किया है और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप क़रार दिया है । कभी-कभार यहां अदालतों से पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो जाते हैं, इसे जमाअत सही नहीं समझती और भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इस प्रकार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अदालती कार्यवाही होती रहती है । जमाअत का इसे पूरा सहयोग प्राप्त है । जमाअत इस्लामी हिन्द अलग से भी शरीअत की सुरक्षा व संरक्षा के लिएं प्रयासरत है ।

मुस्लिम समुदाय के एका हेतु जमाअत की कोशिशें

पूरे मुस्लिम समुदाय (उम्मत) की इस बात पर सहमति नज़र आती है कि उसमें इत्तिहाद व एका होनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं हो पाता । हरेक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अलग-अलग काम कर रहा है । साथ मिलकर काम करने का मिज़ाज नहीं है । हमें यह मिज़ाज पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए । इस सिलसिले में मेरा ज़ेहन यह है कि जो जमाअत (संगठन) जिस मैदान में नुमायां ख़िदमत अंजाम दे रही है वह अंजाम दे और दूसरी जमाअतें संभव सीमा तक उसका सहयोग करें । इसमें मानसिक तंगी या रिज़र्वेशन नहीं बल्कि मानसिक व्यापकता होनी चाहिए । अगर हर जमाअत यह चाहती है कि मुस्लिम समुदाय की सभी समस्याओं में उसका नेतृत्व स्वीकार किया जाए तो हमारे बीच इत्तिहाद मुश्किल होगा । इसके साथ इस बात की भी ज़रूरत महसूस होती है कि मुसलमानों की जमाअतों और उनके संगठनों के बीच मशविरा होना चाहिए और कोशिश की जाए कि हमारे क़दम सहमति वाले हों । अल्लाह ने चाहा तो जमाअत इस्लामी हिन्द इस दिशा में अग्रसर होगी ।

भारतीय मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिशें

इस बात में सन्देह नहीं कि भारतीय मुसलमान शैक्षणिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं, तथापि पिछड़ेपन का ग्राफ़ प्रत्येक राज्य में एक जैसा नहीं है । जैसे-दक्षिण भारत के मुसलमान शैक्षणिक दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर पोज़ीशन में हैं । हमारी कोशिश होगी कि उत्तर भारत के मुसलमान भी शिक्षा के मैदान में आगे आएं । इस सिलसिले में जमाअत शैक्षणिक उन्नति के लिए जहां एक ओर अपने स्तर से कोशिश कर रही है, वहीं वह आम मुसलमानों को भी इस पर आमादा कर रही है । शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के साथ जमाअत ने मुसलमानों के तहत चलने वाली संस्थाओं के लिए न केवल एक संतुलित पाठ्यक्रम तैयार किया है, बल्कि प्राइमरी और सेकेन्डरी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी तैयार की हैं । जमाअत ने देश के विभिन्न भू-भागों में शैक्षणिक जागृति का अभियान चलाया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं । इसके साथ जमाअत दीनी (धार्मिक) शिक्षा की उन्नति के लिए भी प्रयासरत है । उसकी निगरानी में ख़ालिस धार्मिक शिक्षा की संस्थाएं संचालित हैं । इस सिलसिले में और अधिक क़दम इंशाअल्लाह उठाये जाएंगे ।

देश में इस्लाम, मुसलमानों और इस्लामी तहरीकों को पेश आने वाली चुनौतियां और सही कार्यनीति

इसमें सन्देह नहीं कि इस देश में इस्लाम, मुसलमानों और इस्लामी तहरीकों को बहुत-सी चुनौतियों का सामना है । इसका बड़ी हिकमत और बुद्धिमत्ता से मुक़ाबला करना होगा ।

इस सिलसिले में एक बात तो यह निवेदित करनी है कि अगर कोई यह समझता है कि वह शक्ति के बल पर इनका मुक़ाबला कर सकता है, तो वह सख़्त ग़लतफ़हमी में फंसा हुआ है । दूसरी बात यह कि एक लोकतांत्रिक देश में जहां आपको दावत व तब्लीग़ (इस्लाम धर्म का आह्वान व प्रचार) एवं अपनी बात को पेश करने का हक़ हासिल हो, शक्ति के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है । इस समय आप दो तरीक़ों से इनका

मुक़ाबला कर सकते हैं, एक वैचारिक क्षेत्र में और दूसरे नैतिक क्षेत्र में । देश में टकराव के रास्ते को अपनाना सख़्त नुक़्सानदेह होगा ।

उर्दू भाषा का मसला

उर्दू भारत के कुछ प्रदेशों की दूसरी सरकारी भाषा है । यह भारत के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी की मातृभाषा है । ग़ैर मुस्लिमों की एक उल्लेखनीय संख्या उर्दू बोलती है । मुसलमानों का बहुत-सा धार्मिक साहित्य भी इस भाषा में मौजूद है । उर्दू भाषा की मधुरता, समरसता और प्रभावकारिता को देश की एक बड़ी आबादी स्वीकार करती है । अतः उर्दू भाषा का अस्तित्व, सुरक्षा और विकास आवश्यक है । हम इस बात की पुष्टि व समर्थन करते हैं, बल्कि इसकी मांग करते हैं कि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए । यह किसी भी पहलू से मुसलमानों को न तो पिछड़ा बना रही है और न ही बेरोज़गार, बल्कि उनकी उन्नति और आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो रही है । यह भी देखने में आया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ छात्र उर्दू भाषा को विशेष रूप से अपनाते हैं, जिससे उनकी प्राप्त होने वाले अंकों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है । इसके साथ अंग्रेज़ी को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंश होना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा का माध्यम सामान्यतः अंग्रेज़ी भाषा है । इसलिए ऐसी सूरत अनिवार्यतः निकाली जानी चाहिए कि जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वह अंग्रेज़ी में कमज़ोर होने की वजह से पीछे न रह जाए ।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जमाअत की भावी कार्यनीति

सच्चर कमेटी की रिर्पोट में मुसलमानों की जिस सूरतेहाल का उल्लेख है, कुछ दूसरी कमेटियां भी उसका उल्लेख अपनी रिपोर्टों में करती रही हैं । स्वयं मुसलमानों ने बार-बार सरकार को इस ओर ध्यान दिलाया, लेकिन सरकार द्वारा ही गठित सच्चर कमेटी ने आंकड़ों के द्वारा जो विवरण उपलब्ध कराये हैं, वे स्वयं सरकार की इस मामले में नाकामी की खुली स्वीकारोक्ति है, जिसका कोई विरोधी भी इन्कार नहीं कर सकता । जमाअत

इस्लामी हिन्द ने दिल्ली में इस सिलसिले में देश के 15 अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक द्विदिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया । इसी तरह का एक और वर्कशॉप कोलकाता में संपन्न हुआ और इनमें रिपोर्ट का विस्तारपूर्वक जायज़ा लेने की कोशिश की गयी । इस सिलसिले में मुसलमानों के सभी धार्मिक व सामुदायिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने की भी कोशिश की जा रही है । हमारी कोशिश होगी कि जिस उद्देश्य के लिए सच्चर कमेटी गठित की गयी थी, वह उद्देश्य पूरा हो और सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करे । हमें ख़ुशी है कि कुछ ग़ैर मुस्लिम संगठन भी इसके लिए प्रयासरत हैं । इन सभी कोशिशों को समन्वित करने और उचित क़दम उठाने की ज़रूरत है ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुसार हर क़ौम और समुदाय को अपने पर्सनल लॉ पर अमल की स्वतंत्रता प्राप्त होती है । हमारे देश के संविधान ने भी यह स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन इसके साथ इसके नीति निर्देशक सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि देश को कॉमन सिविल कोड की ओर अग्रसर होना चाहिए । यह बात विशेष रूप से मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य रही है । अतएव जमाअत के 1956 ई० के प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह था कि पर्सनल लॉ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए । संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत से कॉमन सिविल कोड से संबंधित धारा को निरस्त कर दिया जाए या कम से कम मुसलमानों को इससे अलग किया जाए । इसी प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वजूद में आया । 1972 ई० में इसका पहला अधिवेशन (बैठक) मुंबई में आयोजित हुआ । मैं भी इसमें शामिल हुआ था । इस समय बोर्ड के प्राथमिक अधिवेशन में शामिल होने वाले लोग कुछेक ही रह गये हैं । इस मसले पर मुस्लिम समुदाय (उम्मत) के बीच जैसी एकता देखी गयी, देश की आज़ादी के बाद किसी मसले पर इस प्रकार की एकता नहीं देखी गयी ।

अब भी मेरा ख़याल है कि यह बड़ी हद तक मुसलमानों का संयुक्त मंच है और विभिन्न मामलों में इसने जो क़दम उठाये हैं सामान्यत: मुसलमानों का सहयोग इसे प्राप्त रहा है । जमाअत इस्लामी हिन्द का इस

बोर्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हर मौक़े पर इसने उसके साथ सहयोग किया है । इस संस्था की अधिकाधिक सक्रियता के लिए ज़रूरी है कि सभी मुस्लिम संगठनों का इसमें इस प्रकार प्रतिनिधित्व हो कि किसी भी घटक (गरोह) को इसका एहसास न हो कि उसे नज़रअंदाज़ किया जा रहा है । यह उम्मत के बीच एक बड़ा साझा मंच है । इसलिए इसे जमाअत का सहयोग इंशाअल्लाह आगे भी मिलता रहेगा ।

भारत-पाक संबंध

भारत-पाकिस्तान न केवल पड़ोसी देश हैं, बल्कि दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें एक हद तक एक जैसी हैं । दोनों का एक ही अतीत है । दोनों देशों के बीच सामाजिक रिश्ते हैं । सीमा के दोनों ओर बहुत सारे टूटे हुए और बिखरे परिवार आबाद हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच सुखद व ख़ुशगवार संबंधों का पाया जाना कई पहलुओं से समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है । इस समय दोनों देशों के बीच विश्वास की बहाली के लिए जो क़दम उठाये जा रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं, चाहे वह रास्तों का खोलना हो या व्यापारिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाना, सीमा-विवादों को कम करना हो या अन्य मामले । इसी के साथ जमाअत का यह नीति-आधार (मौक़िफ़) है कि दोनों के बीच विवादित मामलों को आपसी बातचीत और विचार-विमर्श के द्वारा ही हल किया जाना चाहिए ।

जमाअत इस्लामी हिन्द और कश्मीर का मसला

कश्मीर के मसले के सिलसिले में जमाअत का मौक़िफ़ (नीति-आधार) बहुत स्पष्ट और साफ़ है । जमाअत पहले दिन से यह कह रही है कि इस मसले का हल आपसी बातचीत से निकाला जाना चाहिए । यह हल ऐसा होना चाहिए जो भारत और पाकिस्तान के साथ कश्मीरी जनता के लिए भी स्वीकार्य हो, अन्यथा जो हल भी प्रस्तावित किया जाएगा वह दीर्घगामी व स्थायी नहीं होगा । जमाअत इस मसले में पक्षों में से किसी के लिए भी बल-प्रयोग को लाभप्रद नहीं समझती । इस मसले पर दोनों देशों के बीच तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं, जो बेनतीजा रहीं और अब तो दोनों देशों के पास एटमी हथियार हैं । अगर ख़ुदा न ख़्वास्ता लड़ाई हुई, तो यह अधिक विनाशकारी हो सकती है ।

मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय समस्या और उसका हल

मेरे नज़दीक इस समय मुस्लिम समुदाय को जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना है, वह यह है कि उसकी तस्वीर ग़लत और घृणित प्रोपगैंडे के द्वारा इतनी बिगाड़ दी गयी है कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय (उम्मत) से क़रीब होते हुए पसोपेश में पड़ जाता है । यूं मालूम होता है कि मुस्लिम समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति आतंकवादी और ख़ूंख़्वार है और पूरी दुनिया को उससे सख़्त ख़तरा है । अगर वह आतंकवादी नहीं है तो उसे अपने सभ्य नागरिक होने का सबूत जुटाना होगा । इसका एक पहलू यह भी है कि बातचीत मुसलमानों के बारे में होती है, लेकिन इस्लाम की शिक्षाओं और व्यक्ति व समाज पर उनके प्रभाव आलोचना का निशाना बन जाते हैं, मानो इस्लाम ही ने विकृत मानसिकता पैदा की है ।

इतने बड़े पैमाने पर और इतने संगठित तरीक़े से इतने बड़े समुदाय का चरित्रहनन शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ । यह बात बिल्कुल साफ़ है कि यह सब कुछ घटिया राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों के अन्तर्गत किया जा रहा है । अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, फ़िलिस्तीन और लेबनान इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । अब ईरान और सीरिया (शाम) के सिलसिले में यही कुछ हो रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिम के इस आक्रामक रवैये का मुसलमानों की ओर से कभी-कभी जवाब दिया जाता है और स्वयं पश्चिम में भी इसकी आलोचना होती है, लेकिन यह आवाज़ मुस्लिम दुश्मनी के शोर में दब कर रह जाती है ।

चरित्र हनन के इस निरन्तर दुष्प्रचार की बुराई में अच्छाई का पहलू भी है, वह यह कि बहुत-से गंभीर और विवेकशील लोगों के ज़ेहनों में इस्लाम एक सवाल बनकर उभर रहा है कि इस्लाम आख़िर क्या है ? आख़िर इससे अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां भयभीत क्यों हैं ? अतएव इस कारण से ग़ैर मुस्लिम दुनिया में क़ुरआन की ओर पहले से कहीं अधिक आकर्षण पैदा हो गया है और आज धार्मिक पुस्तकों में वह सबसे अधिक पढ़ी जा रही

है । बहुत-से लोगों को इस्लाम की शिक्षाएं इतनी प्रभावित कर रही हैं कि वे इस्लाम की आग़ोश में आते जा रहे हैं । इन हालात में मेरे ख़याल में करने के दो काम हैं, एक यह कि मुस्लिम समुदाय अपने संभावित संसाधनों को इस्तेमाल करके पश्चिम की आपत्तियों और आक्षेपों के प्रत्युत्तर में तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करे । मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग भी हैं जो इनका जवाब दे सकते हैं और समुदाय इतने संसाधन भी रखता है कि उसकी आवाज़ दूर तक पहुंच सके ।

दूसरा काम जो करने का है वह यह है कि मुस्लिम समुदाय अपने चरित्र व आचरण से इस्लाम का नमूना पेश करे और दुनिया को मालूम हो कि मुसलमान किसे कहते हैं, उसका जीवन और चरित्र कैसा होता है । वह कैसा पड़ोसी होता है, कैसा नागरिक होता है, उसकी संस्कृति कैसी होती है और उसका रहन-सहन कैसा होता है । विरोधियों के साथ वह कैसा रवैया अपनाता है । इससे व्यावहारतः उस प्रोपगैंडे का खंडन होता चला जाएगा जो मुसलमानों के सिलसिले में किया जा रहा है ।

विश्व की इस्लामी तहरीकों के साथ जमाअत के संपर्क

इसमें सन्देह नहीं कि मुस्लिम देशों में बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत (आह्वान) का जज़्बा पाया जाता है और इस्लाम के पुनरुत्थान की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन हर तहरीक की कार्यशैली अपने हालात के लिहाज़ से एक दूसरे से भिन्न है । भारत में जमाअत इस्लामी उसूली तौर पर इस्लाम की दावत और उसकी इक़ामत (स्थापना) का काम करना चाहती है और इसके लिए वह अख़्लाक़ी व संवैधानिक कार्यपद्धति की पाबन्दी ज़रूरी ख़याल करती है । वह कोई ऐसा रास्ता अपनाना सही नहीं समझती, जो देश में फ़साद और बिखराव का कारण बने । इसलिए इस्लाम की दावत व प्रचार-प्रसार और इसकी सरबुलन्दी के लिए जो भी सेवाएं दुनिया में की जा रही हैं उन्हें क़द्र की निगाह से देखने के बावजूद जमाअत का अपना निश्चित रास्ता है ।

इस्लाम की दावत और इसके बारे में जो आपत्तियां की जा रही हैं, उनको दूर करने के जो इल्मी (ज्ञानात्मक) और वैचारिक प्रयास हो रहे हैं, जमाअत उन सबसे फ़ायदा उठाना चाहती है । जमाअत को विभिन्न इस्लामी

तहरीकों से संपर्क के अवसर कम ही प्राप्त हुए हैं । जमाअत चाहती है कि जब भी इसका अवसर मिले उससे फ़ायदा उठाया जाए और एक-दूसरे के साथ विचार-विनिमय का सिलसिला जारी रहे । उनकी कोशिशें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आएं और हमारी कार्यपद्धति से भी वे परिचित हों ।

देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में जमाअत की कोशिशें

सबसे पहले यह बात स्पष्ट करनी आवश्यक है कि जमाअत चुनावों में स्वयं प्रत्यक्षतः हिस्सा नहीं लेती, अर्थात वह अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती । अलबत्ता इस्लाम और मुसलमानों के हितों के तहत संसद और विधानसभाओं के चुनावों पर योजनाबद्ध ढंग से प्रभाव डालने की कोशिश करती है । इसने इस बात की भी कोशिश की कि मुसलमानों की जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वे एकजुट हों और मिल्ली (मुस्लिम समुदाय के) हितों को सामने रखें । इसके नतीजे में कुछ राज्यों के चुनावों में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए साझा प्लेटफार्म भी बने ।

चुनावों में भाग लेने या न लेने का मसला

इस्लाम के अक़ीदे (धारणा) का एक बुनियादी अंश यह है कि वास्तविक विधि निर्माता केवल अल्लाह तआला है और इन्सान के लिए क़ानून देने का हक़ केवल उसी को प्राप्त है । इन्सान की पूरी ज़िन्दगी उसी के अधीन होनी चाहिए । हम अपनी इबादतों, अख़्लाक़, तहज़ीब, रहन-सहन, क़ानून, राजनीति-जीवन के हर क्षेत्र में उसी के आज्ञाकारी होकर रहें । इस बिन्दु पर जमाअत में कभी मतभेद नहीं रहा और अब भी इस पर सहमति है । हमारा इस पर भी एकमत है कि इस्लाम से ही दुनिया की समस्याएं हल हो सकती हैं । इन्सान को न्याय और इन्साफ़ मिल सकता है । वह सफल जीवन बिता सकता है और वह आख़िरत (पारलौकिक जीवन) की भी सफलता प्राप्त कर सकता है । लेकिन यह बात अभी पूरे स्पष्टीकरण और विस्तार के साथ इस देश के सामने नहीं आ सकी है । इसे पूरे स्पष्टीकरण के साथ देश के सामने पेश करने के लिए यहां लोकतंत्र का बाक़ी रहना ज़रूरी है ।

लोकतंत्र का बुनियादी उसूल चिन्तन और कर्म की स्वतंत्रता है । इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धारणा के अनुसार कर्म और उसके प्रचार-प्रसार का हक़ प्राप्त रहता है । लोकतांत्रिक वातावरण में सभी प्रचलित संसाधनों से काम लेकर अपनी बात कही जा सकती है । हमारे देश में ऐसी ताक़तें मौजूद हैं जो लोकतंत्र को समाप्त करके एक विशेष संस्कृति और दृष्टिकोण को पूरे देश पर थोपना चाहती हैं । इनके सत्तारूढ़ होने की सूरत में इस्लामी शिक्षाओं पर अमल और उनके प्रचार-प्रसार के अवसर शायद शेष न रहें । इसलिए नितांत आवश्यक है कि इनका ज़ोर टूटे और सत्ता की कमान उनके हाथों में न हों । इस देश में दो प्रकार की राजनैतिक ताक़तें व्यावहारतः काम कर रही हैं । एक वे जो चाहती हैं कि भारत के हर नागरिक को उसके बुनियादी हक़ प्राप्त हों । दूसरी वे जो चाहती हैं कि कुछ को ये हक़ प्राप्त हों और कुछ इनसे वंचित रहें । हमारी कोशिश होनी चाहिए कि राजनीति के मैदान में वे लोग न आएं, जो किसी भी तबक़े के हक़ों को छीनने पर उतारू हों । इसी दृष्टिकोण के अन्तर्गत जमाअत ने चुनावों में हिस्सा लेने का निर्णय किया है ।

इसी के साथ-साथ वे लोग भी हैं जो समझते हैं कि अल्लाह विधि निर्माता और नियंता है और किसी व्यक्ति व गिरोह को विधि-निर्माण का हक़ प्राप्त नहीं है, इसलिए उनके नज़दीक किसी को विधि-निर्माण के मक़ाम पर पहुंचना सही और ठीक नहीं है । इस पहलू से आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे बीच अस्ल मसले में कोई मतभेद नहीं है । केवल ज़रूरत और हालात के तहत कुछ लोग मौजूदा चुनावी सिस्टम से फ़ायदा उठाने में हरज नहीं समझते हैं और कुछ लोग धारणा के अनुसार इससे बचना चाहते हैं । इस विषय पर हमारे बीच लंबी-चौड़ी बहसें होती रही हैं । मसले की प्रकृति मतभेद वाली है, इसलिए शूरा (परामर्शदात्री समिति) के अनुसार अमल होता रहा है । यह बात आंखों के सामने रहे कि जमाअत देश व मुस्लिम समुदाय के हित में उन लोगों और संगठनों के समर्थन का फ़ैसला करती रही है, जो लोकतांत्रिक ज़ेहन वाले हैं और इस्लाम और मुसलमानों की समस्याओं से हमदर्दी रखते हैं । इसे एक दीनी और मिल्ली ज़रूरत समझा गया है । जमाअत ने संसदीय चुनावों में बाक़ायदा हिस्सा लेने का निर्णय नहीं किया है ।

जहां तक लोकल बॉडीज़ का संबंध है, इसमें हिस्सा लेने में शरीअत रुकावट नहीं है । इसलिए कि यहां विधि-निर्माण नहीं होता है । आम इन्सानों की रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतें लोकल बॉडीज़ के पेशेनज़र होती हैं । यह समाज-सेवा का एक माध्यम है, अत: इस पहलू से जमाअत इस प्लेटफ़ार्म को इस्तेमाल करना चाहती है ।

लोकल बॉडीज़ के चुनाव में हिस्सा लेने का फ़ैसला जमाअत की शूरा (केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति) ने पिछले मीक़ात (सत्र) में किया था । यह फ़ैसला बरक़रार है । इस फ़ैसले के पीछे यह ख़याल पाया जाता है कि लोकल बॉडीज़ जनसेवा की संस्थाएं हैं । इन संस्थाओं में अगर अच्छे लोग पहुंचें, तो वे ज़्यादा बेहतर तौर पर सेवा कर सकते हैं ।

जहां तक चुनावी राजनीति का संबंध है, जमाअत ने देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता और फॉसीवाद के रुझान और मुस्लिम समुदाय के हित को देखते हुए चुनावी राजनीति पर प्रभाव डालने का फ़ैसला किया है, ताकि ऐसे लोग सत्तारूढ़ न हों, जो लोकतांत्रिक सोच नहीं रखते और जिनका ज़ेहन इस्लाम और मुसलमानों के बारे में साफ़ नहीं है, बल्कि उनकी शत्रुतापूर्ण नीति है और जो मुसलमानों की जायज़ और न्यायसंगत मांगों पर भी ध्यान नहीं देना चाहते । यह उम्मत (मुस्लिम समुदाय) की राजनैतिक आवश्यकता है ।

इसके साथ साम्प्रदायिकता और फॉसीवाद का मुक़ाबला करने का दूसरा तरीक़ा यह है कि इन क्षेत्रों में दावत (इस्लामी आह्वान) का काम किया जाए और इस्लाम की शिक्षाओं से अवगत कराया जाए ।

जमाअत की नज़रों के सामने ये दोनों ही तरीक़े रहे हैं । हम एक ओर राजनैतिक स्तर पर फॉसीवाद का मुक़ाबला करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर हमारा कार्यक्षेत्र वही दावत है और हर वह व्यक्ति हमारी दावत के दायरे में है, जिस तक इस्लाम की शिक्षाएं सही रूप में नहीं पहुंच सकी हैं । उसे इस्लाम से परिचित कराना हमारी धार्मिक ज़िम्मेदारी है ।

जमाअत ने अपने दाइयाना किरदार (इस्लामी आमंत्रण के चरित्र) को भूलकर केवल चुनावी राजनीति को साम्प्रदायिकता और फॉसीवाद के मुक़ाबले का एकमात्र तरीक़ा नहीं समझ रखा है । वह अपना दावती काम भी जारी रखे हुए है ।

साम्प्रदायिकता और फॉसीवाद के ख़िलाफ़ जमाअत की कोशिशें

तमाम कोशिशों के बावजूद साम्प्रदायिक और फॉसीवादी शक्तियों का ख़तरा अब भी बना हुआ हैं । दिल्ली नगर निगम के चुनाव-परिणाम आपके सामने हैं । इससे पहले पंजाब और उत्तरांचल में भी ये शक्तियां मज़बूत हुई हैं । (अब तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सरकारें अस्तित्व में हैं)। अत: हमें अपनी कोशिशों को और तेज़ करने की ज़रूरत है । हमारी कोशिश होगी कि देश में लोकतांत्रिक वातावरण बाक़ी रहे । देश में हर वर्ग को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वातावरण में अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए । साम्प्रदायिक एवं फॉसीवादी शक्तियां इस हक़ को छीनने के लिए आतुर हैं । हम लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीक़ों से और क़ानूनी सीमा में रहते हुए इन शक्तियों का मुक़ाबला करेंगे । इलेक्शन भी इसका एक ज़रिया हो सकता है ।

आधुनिक साहित्य की ज़रूरत

जमाअत का जो अमली और फ़िक्री लिट्रेचर है उसका महत्व सामान्यत: स्वीकृत है । इसने इस्लाम की सही और विस्तृत सोच प्रदान की । इसके हक़ में प्रमाण जुटाये । आधुनिक काल में इस्लाम पर जो आपत्तियां की जाती हैं, उनका उत्तर दिया । इस्लाम जो सुदृढ़ चरित्र और आचरण पैदा करना चहता है उसकी व्याख्या की और दावत (इस्लाम का आह्वान) और तहरीक का जज़्बा जाग्रत किया और एक सुव्यवस्थित व संगठित तहरीक को व्यावहारिक रूप दिया । इस सबके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ मौजूद है, वह हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी है और लिट्रेचर की वृद्धि की ज़रूरत नहीं । नयी-नयी ज़रूरतें सामने आती रहेंगी और अपनी पूर्ति की मांग करेंगी । कोई ज़िन्दा तहरीक इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती ।

मैं एक विशेष पहलू की ओर इस समय ध्यान आकृष्ट कराऊंगा । हमारे तहरीकी लिट्रेचर में मूलत: पश्चिम के चिन्तन-दर्शन को पेशेनज़र रखा गया है और उनकी कमज़ोरियां स्पष्ट करने एवं इस्लाम की सच्चाई व हक़ीक़त

को सिद्ध करने की कोशिश की गयी है, लेकिन वर्तमान काल में धर्म एक महत्वपूर्ण फैक्टर की हैसियत से उभर कर सामने आ रहा है । पश्चिम में भौतिकवाद की प्रतिक्रिया में इसकी ज़रूरत का एहसास धीरे-धीरे उभर रहा है और पश्चिम में भी धर्म के पुनरुत्थान की तीव्र भावना पायी जाती है । इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि इस पहलू से भी लिट्रेचर की तैयारी की जाए । यह नहीं कहा जा सकता कि हमने इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की । निस्संदेह इस संदर्भ में उल्लेखनीय कोशिशें हुई हैं, लेकिन यह पहलू जिस विस्तार और गहन अध्ययन का तक़ाज़ा करता है, ज़रूरत है कि इसका हक़ अदा किया जाए और इसके लिए एक पूरी टीम तैयार हो । इसे जमाअत के तहरीकी और दावती कामों में एक तरह से प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए ।

अमली व फ़िक्री मैदान में जमाअत के पेशेनज़र काम

जमाअत के आरंभिक काल में रामपुर में सानवी दर्सगाह इसी उद्देश्य के लिए क़ायम हुई थी । इसने सीमित स्तर पर ही सही कुछ अत्यंत बुद्धिमान और योग्य लोग जमाअत को दिये । इदारा तहक़ीक़ व तस्नीफ़ इस्लामी, अलीगढ़ इसीलिए क़ायम हुआ और वह सामर्थ्य भर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है । इस्लामी अकादमी के पेशेनज़र भी यही काम है, लेकिन विभिन्न कारणों से हम इस काम को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सके, जैसा कि इसका हक़ था ।

अब हमारी कोशिश होगी कि पहले से क़ायम संस्थाओं को मज़बूत करें और अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी संस्थाएं क़ायम की जा सकती हैं । हमें इस बात का एहसास है कि आधुनिक समस्याओं और चुनौतियों का जिस अंदाज़ में विश्लेषण किया जाना चाहिए था, हम नहीं कर सके । इसी प्रकार जैसी योग्य टीम हमें दरकार है, उस प्रकार की टीम भी हम अभी तक नहीं तैयार कर सके हैं । हमें वर्तमान समस्याओं का गहराई और सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले लोग दरकार हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता और योजनाबद्ध कोशिश होनी चाहिए ।

वर्तमान काल में नेतृत्व करने वालों की विशेषताएं

यह बात यक़ीनन सही है कि इस्लामी दृष्टिकोण से किसी बड़े परिवर्तन के लिए जहां क़ुरआन के ज्ञान और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सुन्नत से लाभान्वित होना अनिवार्य है, वहीं वर्तमान काल की परिस्थितियों (हालात) और तक़ाज़ों से अवगत होना भी अति आवश्यक है। रिवायती आलिमों से तात्पर्य अगर आलिम हैं जो वर्तमान परिस्थितियों से बिल्कुल ही बेख़बर हैं और 21वीं सदी में पैदा होने के बावजूद ज़ेहनी व फ़िक्री लिहाज़ से छठी और सातवीं सदी में रह रहे हैं, तो निस्सन्देह उनके ज़रिये किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम समुदाय (उम्मत) में ऐसे आलिम मौजूद हैं, जिनकी दीन (इस्लाम धर्म) पर गहरी नज़र है और जो वर्तमान काल की परिस्थितियों से भी बाख़बर हैं। इस तहरीक के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एक ही समय में दीन पर भी अच्छी नज़र रखते हों और वर्तमान काल की परिस्थितियों व हालतों से बाख़बर और उसके नब्ज़ से परिचित भी हों। जमाअत की यह कोशिश है कि इसमें दोनों तरह की योग्यता वाले लोग मौजूद हों और उनमें लगातार वृद्धि होती रहे।

अन्य अल्पसंख्यक ग्रुपों से जमाअत के संपर्क

इस्लाम का परिचय कराने और इस्लाम व मुसलमानों से संबंधित ग़लतफ़हमियों को दूर करने के उद्देश्य से जमाअत देश के सभी वर्गों व तबक़ों से संपर्क बढ़ाना चाहती है और इसके लिए प्रयासरत है। इमरजेंसी के दौरान जमाअत और आर॰एस॰एस॰ के लोग एक साथ जेलों में थे। वहां सुबह व शाम उनके साथ रहना हुआ। बातचीत और विचार-विनिमय के द्वारा इस्लाम व मुसलमानों के बारे में उनकी ग़लतफ़हमियां दूर करने का अवसर मिला। इसी बुनियाद पर जमाअत अन्य अल्पसंख्यक ग्रुपों से भी संपर्क रखती है। इसलिए कि जमाअत समझती है कि देश के सभी वर्गों व तबक़ों तक इस्लामी शिक्षाओं का पहुंचना आवश्यक है। इसी तरह जमाअत का दृष्टिकोण यह है कि देश के सभी नागरिकों को उनके वे मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, जिनकी ज़मानत देश के संविधान में सभी

नागरिकों के लिए दिये गये हैं, चाहे वे किसी धर्म और किसी ज़ात-बिरादरी से संबंध रखते हों ।

अगर कोई अल्पसंख्यक ग्रुप किसी हक़ से वंचित होगा या कोई उस पर ज़ुल्म करेगा तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ और उस ग्रुप के समर्थन में आवाज़ उठाएं । यह भी देखा जाता है कि कुछ अल्पसंख्यक ग्रुप या समाज के उत्पीड़ित तबक़े जमाअत का अन्य मुस्लिम संगठनों से केवल राजनैतिक स्तर पर राजनैतिक इश्यूज़ में और राजनैतिक उद्देश्य से सहयोग चाहते हैं । उन्हें इस्लाम और इसकी शिक्षाओं से कोई ग़रज़ नहीं होता । मैं समझता हूं कि एका की यह अकेली बुनियाद नहीं होनी चाहिए । हमें उनको यह भी बताना चाहिए कि इस्लाम उनकी समस्याओं व मुश्किलों को किस प्रकार हल कर सकता है ।

शिक्षा और अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान

जमाअत शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों की तरक्क़ी के लिए प्रयासरत है । इसने अनेक शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल और चिकित्सा-उपचार के केन्द्र क़ायम किये हैं । विशेष रूप से दक्षिण भारत में जहां जमाअत से जुड़े लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बहुत-से स्कूल, कॉलेज और अस्पताल क़ायम किये हैं, जिनसे मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम सब फ़ायदे उठाते हैं । उत्तर भारत में मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं और स्कूल स्तर पर पढ़ने का सिलसिला टूट जाने की दर अधिक है । मेरा ख़याल है कि हम मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति पर अधिक ध्यान दें और मुस्लिम नवयुवकों के लिए आधुनिक और दीनी (धार्मिक) दोनों तरह की शिक्षा का प्रबंध करें, बिना आधुनिक शिक्षा के मुसलमान तरक़्क़ी नहीं कर सकते । इसलिए इस काम को हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए ।

जमाअत इस्लामी हिन्द और मीडिया

इस्लाम अब तक देशवासियों के सामने एक ईशू नहीं बन सका है । इसका जो कुछ परिचय उनके बीच है, वह नकारात्मक ढंग से है । इसका पता आये दिन मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पेश किये जाने

वाली सोचों से चलता है । हम चाहते हैं कि देश में इस्लाम सकारात्मक (Positive) अंदाज़ में इस हैसियत से कि वह देश की समस्याएं हल कर सकता है, नुमायां होकर सामने आये ।

अफ़सोस कि हम मीडिया को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके हैं । हम चाहते हैं कि मास मीडिया को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ग़लतफ़हमियां दूर करने के लिए इस्तेमाल करें और यह दिखाएं कि इस्लाम और उसके मानने वाले देश को पेश आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं । जमाअत विभिन्न भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करती है । मगर वे जनमत को प्रभावित नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके पाठक सामान्यत: केवल मुसलमान हैं । एक सीमित क्षेत्र के बाहर उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती । एक घटना इन अख़बारों में छपे तो वह नज़रअंदाज़ हो जाती है, लेकिन अगर वही स्टोरी किसी नेशनल अख़बार में छपे तो उसका असर महसूस होता है । इससे स्पष्ट होता है कि हमारे मीडिया का विस्तृत और विशेष रूप से ग़ैर मुस्लिम क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं है । इस मामले में केवल केरल अपवाद है, जहां से प्रकाशित होने वाला जमाअत का अख़बार 'माध्यमम' बड़ा पाठक-वर्ग रखता है, जिनमें ग़ैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं । इसी कारण से केरल की राजनीति में इसका असर महसूस किया जाता है ।

जमाअत ने कुछ समय पहले मीडिया सेल स्थापित किया था । इसने अपना काम मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों से संबंधित प्रकाशित होने वाले लेखों और रिपोर्टों के डॉक्यूमेंटेशन और जमाअत के ज़िम्मेदारों को उनसे अवगत कराने तक सीमित रखा है । आवश्यकता है कि इससे आगे बढ़कर काम किया जाए । इस सिलसिले में तीन पहलुओं से काम करने की आवश्यकता है ।

पहला यह कि एक स्थायी मीडिया टीम तैयार की जाए और अपनी रिपोर्टों और अन्य गतिविधियों के द्वारा इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पायी जाने वाली ग़लतफ़हमियां दूर करे और सही तथ्य पेश करे । दूसरा यह कि मीडिया से जुड़े ग़ैर मुस्लिम पत्रकारों से संपर्क स्थापित किया जाए । उनमें सब लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखते, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमानों और इस्लाम के बारे में तथ्यों

को वस्तुनिष्ठ (Objective) ढंग से पेश करना चाहते हैं । अतीत में गुजरात में हुए मुस्लिम संहार के विरुद्ध उनकी आवाज़ मीडिया से जुड़े मुस्लिम हज़रात से ज़्यादा बुलंद थी । तीसरा यह कि हमें मुसलमानों और जमाअत से जुड़े लोगों को ग़ैर मुस्लिम स्वामित्व वाली मीडिया समेत मीडिया के सभी प्रकारों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां वे इस्लाम की शिक्षाओं और मुसलमानों की समस्याओं को वस्तुनिष्ठ अंदाज़ में पेश कर सकें ।

□□□